262 28 न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत, सीपीएसई में ठेके पर/अनियमित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरित को उपरोक्त में उल्लेखित विषय का अवलोकन करने एवं यह व्यक्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सूचनार्थ कुछ सीपीएसई अपने अनियमित/ठेके के कर्मचारियों को वैधानिक वेतन और भत्ते; जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य है, नहीं दे रहे हैं।

2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीपीएसई में कर्मचारियों के वेतन को न्यूनतम वेतन अधिनियम और प्रबंधन एवं व्यापार संघ के बीच सम्पन्न हुए अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित किया जा रहा है और किसी भी अवस्था में कारीगरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वेतन से कम वेतन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनियमित/ठेके के कारीगरों का किसी भी तरह से शोषण किए जाने की घटना नहीं घटे।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह उनकी पूर्वगामी सूचना और आवश्यक कार्रवाई को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के नोटिस में लाएं।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(4)/2013–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–VII/13, दिनांक 21 फरवरी, 2013)

*****